ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.12.2007 से 31.03.2015

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के अन्तर्गत प्रदेश की परिवहन से सम्बन्धित ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह, जिला किन्नौर के अवधि 1.12. 2007 से 31.3.2015 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 13.05.2015 से 16.05.2015 के दौरान पूह में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

(ख) ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) पूह के लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

Year	Income	Expenditure
2008-09	01/09	-
2009-10	01/10	11/09
2010-11	03/11	08/10
2011-12	04/11	08/11
2012-13	04/12	08/12
2013-14	04/13	04/13
2014-15	05/14	05/14

(ग) अंकेक्षण अवधि 1/2009 से 3/2015 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उप–मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के पद पर कार्यरत्त रहेः–

Sr. No.	Name	Period
1	Sh. Amar Jeet Singh	15.01.08 to 28.02.09
2	Sh. Hirdaya Ram	04.03.09 to 20.05.11
3	Sh. Sanjay Sharma	24.05.11 to 16.08.12
4	Sh. Prashant Deshta	17.08.12 to 26.09.12
5	Sh. Sanjeev Sood	27.09.12 to 30.01.13
6	Sh. Vivek Chandel	04.02.13 to 22.01.14

7	Sh. M.R. Bhardwaj	27.01.14 to till date

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	5	अवधि 1.12.2007 से 31.12.2008 के दौरान सोसाईटी की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क की आय –व्यय का विवरण रोकड़ बही में लेखाकिंत न करना एवं अवधि 1.12. 2007 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त सेवा शुल्क की राशि में से ₹246302 को रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना सीधे ही केन्द्रीय ईकाई रिकागंपिओ को भेजा जाना तथा आर0एल0ए0 पूह द्वारा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई सेवा शुल्क की 75% राशि एवं केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओं द्वारा आर0एल0ए0 पूह को समय–2 पर भेजी गई राशि का केन्द्रीय ईकाई अभिलेख से मिलान न किया जाना	विवरण पैरे में दिया गया है
2	10	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ई–गवर्नैन्स निधि से तहसील कार्यालय हेतु व्यय करना तथा तहसील कार्यालय पूह से शेष ₹23001 प्राप्त न करना	0.39
3	12	निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना खुले बाजार से खरीद करना	0.13

(ङ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह, जिला किन्नौर के अवधि 1/2009 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹8000/– आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11/2015 दिनांक 11.05.15 द्वारा उप–मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैनस सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त/अन्य सेवाऐं भी प्रदान की जा रही है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के ई–प्रमाण पत्र जारी करना तथा इन सभी सेवाओं को प्रदान करने से

प्राप्त सेवा शुल्क इत्यादि का समेकित/इकटठा एक ही रोकड़ बही में लेखाकंन किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से ही समस्त व्यय भी इकटठा ही किया जा रहा था। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति नहीं बनाई गई है, अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों की समेकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई थी, जोकि **परिशिष्ट "क"** पर वर्णित की गई है जिसमें केन्द्रीय ईकाई किन्नौर से प्राप्त ₹146878 भी सम्मिलित है **(परिशिष्ट "क–1")**। अतः सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके, परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति तैयार की जाए, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) उप–मण्डल (ना0) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया किः–

(i) E-Governance Soceity (RLA) Pooh द्वारा अपना कार्य दिनाँक 1.12.07 से आरम्भ किया गया था।

(ii) E-Governance Soceity (RLA) Pooh की रोकड़ बही दिनाँक 1.01.09 से आरम्भ की गई, परन्तु रोकड़ बही में कुल एकत्रित राशि का 25% भाग ही लेखाकिंत किया गया तथा शेष 75% भाग E-Governance Society (Central Unit) Recongpeo, DC Office Kinnaur को भेजा गया।

(iii) E-Governance Society (RLA) Pooh की आय में परिवहन की गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के अतिरिक्त E-Parman (ई–प्रमाण) इत्यादि गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क और इन सभी गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त व्ययों का लेखांकन भी किया गया।

(iv) E-Governance Society (RLA) Pooh की एकत्रित आय को दिनाँक 31.03.15 तक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित), पूह के खाता संख्या 25810104993 में जमा किया गया।

(v) E-Governance Society (RLA) Pooh की आय का कोई भी भाग दिनाँक 31.03.15 तक किसी भी प्रकार से सावधि (FDR) में निवेश नहीं किया गया।

(vi) E-Governance Society (RLA) Pooh द्वारा अवधि 01.12.07 से 31.03.15 के दौरान E-Governance Society (Central Unit) Reckongpeo, DC Office Kinnaur से किसी भी प्रकार की कोई Stock एवं Store की मदों को प्राप्त नहीं किया गया।

(vii) E-Governance Society (RLA) Pooh द्वारा अवधि 01.12.07 से 31.03.15 के दौरान Stock एवं Store से सम्बन्धित मदों का कोई भौतिक सत्यापन (Physical Verification) नहीं किया गया।

4 नियमों के अनुसार लेखों का रख–रखाव न करने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नैन्स दिनांक 03.09.05 में दिये गये निर्देशों के अनुसार, सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार करनी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो वर्ष के अन्त में Income & Expenditure Statement तैयार की गई और न ही Balance Sheet तैयार की गईं। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना करते हुये प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet अविलम्ब तैयार की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5 अवधि 1.12.2007 से 31.12.2008 के दौरान सोसाईटी की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क की आय –व्यय का विवरण रोकड़ बही में लेखाकिंत न करना एवं अवधि 1.12.2007 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त सेवा शुल्क की राशि में से ₹246302 को रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना सीधे ही केन्द्रीय ईकाई रिकागंपिओ को भेजा जाना तथा आर0एल0ए0 पूह द्वारा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई सेवा शुल्क की 75% राशि एवं केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओं द्वारा आर0एल0ए0 पूह को समय–2 पर भेजी गई राशि का केन्द्रीय ईकाई अभिलेख से मिलान न किया जाना

(क) E-Governance Society (RLA) Pooh के सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि E-Governance Society (RLA) Pooh की गतिविधियाँ दिनाँक 01.12.2007 को शुरू की गई थी तथा दिनाँक 01.12.2007 से ही सेवा शुल्क से सम्बन्धित आय एकत्रित की गई थी। अंकेक्षण में अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा सेवा शुल्क की आय तथा उसमें से किए गए व्यय का लेखांकन 01.01.2009 से रोकड़ बही में लेखाकिंत करना शुरू किया गया था। इस प्रकार अवधि 01.12.2007 से 31.12.2008 की आय–व्यय के विवरण को रोकड़ बही में लेखाकिंत न किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस अवधि के दौरान परिवहन की गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹37525/–एकत्रित की गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14/2015 दिनाँक 14.05.15 द्वारा अवधि 1.12.2007 से 31.12.2008 के दौरान एकत्रित आय तथा उसमें से किए गए व्यय को रोकड़ बही का लेखांकन न किये

जाने बारे जानकारी माँगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः E-Governance Society की अवधि 01.12.2007 से 31.12.2008 की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त आय तथा उसमें से किए गए व्यय के विवरण को रोकड़ बही में लेखाकिंत न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त भविष्य में भी प्राप्त सभी सेवा शुल्क का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में लेखाकिंत करना तथा उसके उपरान्त ही उसमें से नियमानुसार व्यय करके समस्त व्यय को तदानुसार रोकड़ बही में लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) E-Governance Society (RLA) Pooh के सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि E-Governance Society (RLA) Pooh द्वारा **(परिशिष्ट "ख")** के अनुसार अवधि 01.12.2009 से 31.03.2015 के दौरान सेवा शुल्क (वाहन, सारथी और ई–प्रमाण इत्यादि) के रूप में ₹326105/– की आय एकत्रित की गई थी, जिसकी संस्था स्तर पर भी जाँच की जाए। परन्तु अवधि 01.01.2009 से 31.03.2015 के दौरान एकत्रित कुल राशि में से केवल ₹79803/– **(परिशिष्ट "क")** को ही रोकड़ बही में लेखाकिंत किया गया था। परिणामस्वरूप शेष सेवा शुल्क की शेष ₹326105–₹79803=₹246302/– को दिनांक 31.03.15 तक रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2015 दिनांक 14.05.15 द्वारा सेवा शुल्क की ₹246302/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत न करने बारे जानकारी माँगी गई थी। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में सोसाईटी द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹246302/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना सीधे ही केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओ (Central Unit Reckongpeo) को विभिन्न कार्य दिवसों को भेजा गया था। इस प्रकार सेवा शुल्क की प्राप्त राशि का लगभग 75**%** भाग रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना ही सीधे केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओ को भेजा जाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः ₹246302/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना सीधे ही केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओ को भेजे जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। इस सन्दर्भ में यह भी सुझाव दिया जाता है कि सर्वप्रथम सेवा शुल्क की समस्त प्राप्तियों को रोकड़ बही में लेखाकिंत किया जाए और उसके उपरान्त ही निर्धारित भाग को केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओं को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त उप मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि E-Governance Society (RLA)

Pooh द्वारा सेवा शुल्क की प्राप्त आय का जो 75**%** भाग E-Governance Society (Central Unit) Reckongpeo, DC Office Kinnaur को भेजा गया था, उसका केन्द्रीय ईकाई के अभिलेख से मिलान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय ईकाई किन्नौर द्वारा भी समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 पूह की सोसाईटी के खर्चो का वहन करने हेतु राशियाँ भेजी गई थी, जिसका भी केन्द्रीय ईकाई से मिलान नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि सोसाईटी द्वारा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई राशि तथा केन्द्रीय ईकाई द्वारा सोसाईटी को भेजी गई राशि का मासिक आधार पर मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 प्राप्त सेवा शुल्क की राशि को देरी से बैंक खाते में जमा करवाए जाने बारे

सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को देरी से बैंक में जमा करवाया गया था। इस प्रकार बैंक में राशि देरी से जमा करवाने से प्राप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सेवा शुल्क की प्राप्त राशि को दिन प्रतिदिन के आधार पर बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Detail of late deposit

Month of Collection	**Date of deposit into the bank**	**Amount of collected/deposited into bank**
Feb-09	28.03.09	1367
Mar-09	19.05.09	1640
Apr-09	06.07.09	1120
May-09	28.08.09	1170
Jun-09	04.09.09	753
Jul-09	20.11.09	957
August 2009 to September 09	15.01.10	3281
Nov 2009 to December 09	20.04.10	2037
Jan 2010 to May 2010	22.03.11	5873
June 2010 to Nov 2010	07.04.11	7802
Feb 2011 to April 2011	15.11.11	4404
June 2012 to Sept 2012	12.10.12	2775
Oct 2012 to April 2013	09.05.13	5822
Sep-13	07.10.13	252
Oct-13	08.11.13	1167
March 2014 to April 2014	13.05.14	2071
May 2014 to June 2014	23.07.14	2746
July 2014 to Oct 2014	02.12.14	5497
Nov-14	31.12.14	1109
Dec 2014 to Feb 2015	27.03.15	2966
Mar-15	21.04.15	775
	Total	**55857**

7 **सोसाईटी द्वारा अवधि 1.12.2007 से 31.01.2011 के दौरान प्राप्त सारथी से सम्बन्धित आय के अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल/जाँच हेतु उपलब्ध न करवाये जाने बारे**

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह द्वारा अवधि 01.12.2007 से 31.01.2011 के दौरान प्राप्त सारथी (Driving License) से सम्बन्धित आय के विभिन्न अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक जाँच /पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिस कारण इस अवधि की सारथी से सम्बन्धित आय की अंकेक्षण में आवश्यक जाँच/पड़ताल नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17/2015 दिनाँक 15.05.2015 द्वारा इस आय से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाने हेतु उप मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0)पूह को लिखा गया था, परन्तु उनके द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त वर्णित अवधि की सारथी से सम्बन्धित आय के अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः अवधि 01.12.2007 से 31.01.2011 के दौरान प्राप्त सारथी से सम्बन्धित आय के अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

8 **रोकड़ बही में ₹9404 के व्यय को बिना किसी व्यय शीर्षक के दर्शाने बारे**

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0)पूह की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 12 पर दिनांक 09.11.2012 को ₹70993/– का आरम्भिक शेष दर्शाया गया था तथा दिनाँक 09.11.2012 को ही रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 12 पर ₹9404/– का व्यय "Wrongly posted by bank" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाकर उक्त राशि को आरम्भिक शेष की राशि में से कम करके ₹61589/– का अन्तिम शेष दर्शाया गया था। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि यदि इस राशि को बैंक द्वारा गलती से बैंक खाते में डेबिट भी किया गया था तो भी दिनांक 09.11. 2012 के बाद बैंक द्वारा इस राशि को क्रेडिट किया जाना चाहिए था, परन्तु बैंक द्वारा ₹9404/– का कोई भी Credit आगामी कार्य दिवसों में भी नहीं दिया गया था और न ही इस बारे में कोई अन्य कार्रवाई की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13/2015 दिनांक 14.05.15 द्वारा ₹9404/– को गलत तरीके से बिना किसी शीर्षक के दर्शाये जाने बारे वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने बारे लिखा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः ₹9404/– को गलत तरीके से बिना किसी शीर्षक के रोकड़ बही के व्यय के रूप में दर्शाये जाने बारे वास्तविक स्थिति जानने

के लिए आवश्यक छानबीन की जाए और वास्तविक स्थिति से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

9 रोकड़ बही में आय की ₹6870 का लेखाकंन किए बिना ही उसमें से ₹5800 का व्यय करना तथा शेष ₹1070 को (ई–गवर्नैन्स) से सम्बन्धित बैकं खाते में जमा न करवाना

रोकड़ बही में लेखाकिंत आय और व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा आय की ₹6870/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया था अपितु उक्त आय की ₹6870/– में से ₹5800/– का भुगतान मै0 जय कॉम कम्पयूटर सर्विस रामपुर को उनके बिल संख्या 667 दिनाँक 03.03.11 के अन्तर्गत एक एच पी कम्पनी का प्रिंटर खरीदने हेतु किया गया था तथा शेष बची ₹1070/– को अभी तक ई–गवर्नैन्स सोसाईटी से सम्बन्धित बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया दर्शाया गया था। अतः रोकड़ बही में आय को लेखाकिंत किए बिना उसमें से सीधे तौर पर व्यय किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही ₹1070/– की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ई–गवर्नैन्स निधि से तहसील कार्यालय हेतु ₹39551 का व्यय करना तथा तहसील कार्यालय पूह से शेष ₹23001 प्राप्त न करना

वाउचर संख्या 06, दिनाँक 15.04.13, द्वारा ₹39551/– का भुगतान M/S Shagun Electronics Sunder Nagar Mandi को उनके बिल संख्या 784 दिनांक 01.04.13 के अन्तर्गत 12V/42AH Excide Batteries की सप्लाई हेतु किया गया था। इस वाउचर से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि यह बैटरियाँ E-Governance (RLA) Pooh के लिए नहीं खरीदी गई थी अपितु तहसील कार्यालय पूह हेतु खरीदी गई थी। इस प्रकार इस प्रकरण में ₹39551/– का भुगतान तहसील कार्यालय पूह के लिए Batteries की खरीद हेतु किया गया तथा इसके लिए अध्यक्ष ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर की अनुमति भी नहीं ली गई, जबकि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर के Fund Rules 7.3 के अनुसार यह अनुमति लेनी आवश्यक थी। तत्पश्चात तहसील कार्यालय पूह द्वारा चैक संख्या 77680 और 224702 दिनांक 08.04.13 के अन्तर्गत उक्त ₹39551/– में से ₹16550/– का भुगतान E-Governance Society (RLA) Pooh पूह को वापिस कर दिया गया था तथा शेष ₹23001/– अभी तक तहसील कार्यालय पूह से वसूल की जानी शेष है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना E-Governance Society (RLA) Pooh की निधि से तहसील कार्यालय पूह के लिए Batteries की खरीद को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही तहसील कार्यालय पूह से शेष बची ₹23001/– की भी वसूली अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस खरीद हेतु अध्यक्ष ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर से नियम 7.3 के अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए तथा उक्त स्वीकृति एवं सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में इस तरह के अनाधिकृत व्ययों से परिहार किया जाए।

11 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ई–गवर्नैन्स निधि से ₹18180 का व्यय करना

वाउचर संख्या 03, दिनांक 12.03.13, के अन्तर्गत ₹18180/– का भुगतान M/S Computer Care Reckongpeo, को उनके बिल संख्या 2091 दिनांक 07.03.13 के अन्तर्गत Computer Articles की सप्लाई हेतु किया गया था। इस वाउचर से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि इस खरीद हेतु अध्यक्ष ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर की अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर के Fund Rules 7.3 के अनुसार यह अनुमति आवश्यक थी। अतः इस खरीद को नियमित करने हेतु अध्यक्ष ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

12 निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना खुले बाजार से ₹13530 की खरीद करना

सोसाईटी द्वारा क्रय की गई निम्नलिखित मदों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि इन मदों की खरीद से पूर्व खुले बाजार से निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई थी, जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः यह खरीद निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना खुले बाजार से करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में खरीद नियमानुसार निविदाऐं आमन्त्रित करके ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

जिसे भुगतान किया गया	वाउचर संख्या/दिनांक	राशि
M/S Thakur Lamination, Pooh Bill No. 840 Dt. 20.08.2010, P/O Stationery Items	15, दिनांक 06.07.11	3200
M/S Thakur Lamination, Pooh Bill No. 1242 Dt. 13.09.10, P/O Stationery Items	17, दिनांक 30.04.12	3610
M/S Computer Car Recongpeo, Bill No. 2100, dt 16.03.13, P/O Computer Articles.	4, दिनांक 21.03.13	6720
	योग	**13530**

13 आहरण एवं वितरण अधिकारी/सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा वाउचरों को पारित किए बिना ही ₹5631 का भुगतान करना तथा विभिन्न अवधियों के दौरान रोकड़ बही को आहरण एवं वितरण अधिकारी/सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

(क) विभिन्न व्यय वाउचरों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार भुगतान करने से पूर्व इन वाउचरों को सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार व्यय वाउचरों को सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न किया जाना वित्तीय अनियमितता है। अतः ₹5631/– के व्यय वाउचरों को सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अब इन व्यय वाउचरों को सम्बन्धित प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी व्यय वाउचरों को सम्बन्धित प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Firm	Detail of Purchase	Voucher No. & Date	Amount
M/S Deep Computer Pooh, Bill No. 50 Dt. 23,.07.12	Stationery Articles	1 of 2013, Dt 22.02.13	2247
M/S Thakur Lamination, Poh, Bill No. 1538 Dt. 22.22.12	Stationery Articles	2 of 2013, Dt 12.03.13	3384
		Total	**5631**

(ख) इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमों के अनुसार दिन प्रतिदिन रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना तथा लेखाकिंत रोकड़ बही को आहरण एवं संवितरण अधिकारी/सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित होता है, परन्तु ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पूह की रोकड़ बही की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि निम्न अवधियों की रोकड़ बही को आहरण एवं संवितरण अधिकारी/सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। अतः नियमों की अनदेखी करके रोकड़ बही को सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अब रोकड़ बही को दिन प्रतिदिन के आधार पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी/सम्बन्धित प्राधिकारी से हस्ताक्षरित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	रोकड़ बही पृ0सं0
30.09.11 से 30.04.12	9
31.07.12 से 12.10.12	11
19.02.14 से 31.03.15	18 से 21

14 ई–गवर्नैन्स सोसाईटी द्वारा खरीदे गए विभिन्न सामान की चल/अचल सम्पत्ति रजिस्टर तथा स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी द्वारा खरीदे गए सामान की चल तथा अचल सम्पत्ति रजिस्टर तथा स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नैन्स सोसाईटी निधि से जितने भी स्थाई एवं अन्य सामग्री खरीदी गई है, उन सब की चल/अचल सम्पत्ति रजिस्टर तथा स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर प्रविष्टियाँ की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी द्वारा खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की मदों का नियमानुसार समय–समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नैन्स निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की सभी मदों का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

17 **निष्कर्षः–** निधि लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(xii) 46/2015 खण्ड–1–6028–6032 दिनांक, 12.10.15 शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 पूह, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

3 निदेशक, परिवहन विभाग, हि0प्र0 शिमला–04

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009